न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 27/2020 दायरा दिनांक : 06.07.2020

उनवान

1– बाला उर्फ बालचन्द पुत्र देवीलाल, जाति माली, आयु 72 साल, निवासी खण्डी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– राधाबाई पुत्री देवीलाल पत्नी जगन्नाथ, जाति माली, आयु 55 साल, निवासी खण्डी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– चौथमल पुत्र राधेश्याम, उम्र 21 साल, जाति माली, निवासी खण्डी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2– ग्यारसी बाई पुत्री देवीलाल पत्नी भंवरलाल, आयु 77 साल, जाति माली, निवासी पनवाड़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री औकारेश्वर शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बच्चू लाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 की ओर से

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

निर्णय दिनांक : 25.07.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 955/दावा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट वादी संख्या 1 चौथमल ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 91, 92 (ए), 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम खण्डी, तहसील खानपुर की खसरा नम्बर 352 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 354 रकबा 1 बिस्वा, 355 रकबा 11 बिस्वा कुल 3 किता की कुल रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा आराजी स्थित है । इसी प्रकार ग्राम खण्डी, तहसील खानपुर खसरा नम्बर 314 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 316 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 356 रकबा 1 बीघा कुल 3 किता की कुल रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा आराजी स्थित है। इसी प्रकार ग्राम खण्डी, तहसील खानपुर की खसरा नम्बर 100 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 312 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 349 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 357 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 359 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 834 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा कुल 6 किता कुल रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा आराजी स्थित है। वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार नारायण पुत्र देवीलाल लाऔलाद फौत हो गया था और उसने मृत्यु से पूर्व वादी चौथमल को गोद लिया था। नारायण की मृत्यु होने के बाद राजस्व अधिकारियों ने उसको बिना सूचना दिये फौती इंतकाल संख्या 1499 दिनांक 19.07.2017 को खोलते हुए नारायण के हिस्से की आराजी अन्य सहखातेदार रिश्तेदार

श्रवणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो (पी ए)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

बालचन्द, राधेश्याम, ग्यारसीबाई और राधाबाई के खाते आराजी समभाग दर्ज कर दी गई। जबकि वादी चौथमल नारायण का दत्तक पुत्र होने के नाते नारायण के हिस्से की आराजी प्राप्त करने का अधिकारी था। वादी चौथमल ने वाद के अनुतोष में उक्त तीनों खातों की आराजी में नारायण के हिस्से को स्वयं के नाम दर्ज करने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 15.03.2018 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निस्तारण दिनांक 18.07.2019 को किया है जिसमें रेस्पोडेंट वादी नम्बर 1 चौथमल को नारायण के हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए उसके खाते की आराजी दर्ज करने का आदेश दिया है, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाटं को जारी सम्मन नोटिस की सम्यक तामील नहीं करवायी गयी है। दिनांक 04.01.2018 को न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के नहीं होने से अपीलांट प्रतिवादीगण को यही सूचना दी गई कि अगली बार नोटिस मिलने पर आना। अधीनस्थ न्यायालय में कोर्ट सीटिंग नहीं हुई, नोटिस बोर्ड पर भी कोई तारीख चस्पा नहीं की गई । अपीलांट प्रतिवादी न्यायालय के नोटिस का इन्तजार करते रहे, किन्तु दिनांक 15.03.2018 को उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कर दी गई । इसके बाद प्रकरण में लगातार दिनांक 19.04.2018 से दिनांक 25.06.2019 तक कोई सुनवाई नहीं हुई और कोर्ट सीटिंग भी नहीं हुई। इस प्रकार अपीलांट को सम्यक तामील के बिना ही एक तरफा कार्यवाही करने का आदेश दिया गया और प्रकरण का निस्तारण एक तरफा साक्ष्य लेकर किया गया। इससे पत्रावली पर अपीलांट महत्वपूर्ण तथ्य, साक्ष्य रखने से वंचित रह गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इंतकाल संख्या 1499 दिनांक 19.07.2017 के बारे में कोई विवेचना नहीं की है। वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 चौथमल का नारायण के गोद जाने का कथन पूरी तरह गलत है

रेकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो (पी ए)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

और तथ्यों के विपरीत है । वादी चौथमल ने गोद जाने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया और अपने पक्ष के समर्थन में Superme Court of India Bhivchandra Shankar More vs Balu Gangaram More on 7 May, 2019 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर. एल. डब्ल्यू. 1994 (1) पेज 257 से 261 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाटं को जारी सम्मन नोटिस की सम्यक तामील नहीं करवायी गयी है। अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई । इस प्रकार अपीलांट को सम्यक तामील के बिना ही एक तरफा कार्यवाही करने का आदेश दिया गया और प्रकरण का निस्तारण एक तरफा साक्ष्य लेकर किया गया। इससे पत्रावली पर अपीलांट महत्वपूर्ण तथ्य, साक्ष्य रखने से वंचित रह गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इंतकाल संख्या 1499

टंकणकर्ता
कोटा
रमेश बहादुर सिंह ग्वाल
स्टेनो (पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

दिनांक 19.07.2017 के बारे में कोई विवेचना नहीं की है। वादी चौथमल ने गोद जाने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित की है, जो त्रुटिपूर्ण है। जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2019 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 07.11.2022 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/7/2022
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो (पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा